



## कानूनी सहायता विभाग का पता और कार्यालय का समय

### दीवानी विधिक सहायता आवेदन:

हाँग काँग ऑफिस:

25/एफ क्वीन्सवे गवर्नमेंट ऑफिस, 66 क्वीन्सवे,

हाँग काँग (टेली: 2537-7661)

काँवलून ऑफिस:

जी/एफ माँगकाँक गवर्नमेंट ऑफिस, 30 लूएन वान स्ट्रीट,

माँगकाँक, काँवलून (टेली: 2380-0117)

कार्यालय का समय:

सोमवार से बृहस्पतिवार सुबह 8:45 से दोपहर 1 बजे तक  
दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:45 बजे तक

शुक्रवार सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक  
दोपहर 2:00 बजे से शाम 6 बजे तक

### आपराधिक विधिक सहायता आवेदन:

25/एफ क्वीन्सवे गवर्नमेंट ऑफिस, 66 क्वीन्सवे,

हाँग काँग (टेली: 2537-7738)

कार्यालय का समय:

सोमवार से बृहस्पतिवार सुबह 8:45 से दोपहर 1 बजे तक  
दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:45 बजे तक

शुक्रवार सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक  
दोपहर 2:00 बजे से शाम 6 बजे तक

## हाँग काँग में कानूनी सहायता सेवाएँ

(Hindi Version)



法律援助署



## कानूनी सहायता

अदालत की कार्यवाही के लिए जो लोग अपने प्रतिनिधित्व के लिए वकील को पैसा नहीं दे सकते उन्हें कानूनी सहायता समर्थ बनाती है

## कानूनी सहायता विभाग

हाँग काँग में कानूनी सहायता विभाग (‘विभाग’) ऐसे किसी व्यक्ति को जो अदालत में वादी या प्रतिवादी के रूप में दीवानी या फौजदारी मुकदमा दायर करना चाहता हो, एवम् उसकी आय दी गई सीमारेखा के अंदर हो और उसका मुकदमा उचित हो तो उसे कानूनी सहायता मुहैया कराता है

कानूनी सहायता के लिए आवेदन करते समय कोई फीस लागू नहीं होती यदि कानूनी सहायता दी जाती है तो विभाग जिस व्यक्तिको सहायता दी गई है उसके मुकदमें की पैरवी करने के लिए एक वकील का इंतजाम करता है

## दीवानी कानूनी सहायता

दीवानी मुकदमों के लिए कानूनी सहायता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, कोर्ट ऑफ अपील और कोर्ट ऑफ फायनल अपील के लिए उपलब्ध है इसके अंतर्गत तलाक और पारिवारिक अनबन, व्यक्तिगत चोट दावा (उदाहरण के तौर पर काम की जगह पर हुए हादसे की वजह से किया गया दावा या सड़क यातायात दुर्घटना), रोजगार विवाद, वेतन से संबंधित दावे और अप्रवास विवाद सम्मिलित हैं

## फौजदारी कानूनी सहायता

फौजदारी कानूनी सहायता सभी फौजदारी मुकदमों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इन्स्टेंस और उन अपीलों के लिए जिनकी सुनवाई कोर्ट ऑफ अपील और कोर्ट ऑफ फायनल अपील में होती है इनके लिए उपलब्ध है

## कानूनी सहायता शायद निशुल्क नहीं

कानूनी सहायता सरकार द्वारा वित्तपोषित है किंतु निशुल्क नहीं भी हो सकती है।

जब कानूनी सहायता दी जाती है तब सफल आवेदकों को उनकी वित्तीय क्षमता के अनुसार अंशदान देना पड़ेगा

मुकदमों की कार्यवाही के फलस्वरूप यदि व्यक्ति को पैसा/सम्पत्ति मिलती है तो उसे पूरा कानूनी खर्चा या उसका कुछ भाग चुकाना पड़ेगा

## कानूनी सहायता के लिए किस प्रकार आवेदन किया जाना चाहिए

जो व्यक्ति दीवानी या फौजदारी कानूनी सहायता के लिए आवेदन देना चाहता है उसे विभाग के ऑफिस में आना होगा

यदि कोई व्यक्ति दीवानी कानूनी सहायता के लिए आवेदन देना चाहता है और वह 18 वर्ष से कम उम्र का है या दिमागी तौर पर अपाहिज है तब आवेदन उसकी ओर से किसी वयस्क व्यक्ति को देना होगा

## व्याख्या के साथ मदद

अगर एक आवेदक चीनी या अंग्रेजी नहीं बोल सकता, विभाग आवेदन प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए मुफ्त में एक दुभाषिया की सेवाओं के लिए व्यवस्था कर सकता है। आवश्यक व्यवस्था के लिए कृपया हमारे फ्रंट लाइन कर्मचारियों से संपर्क करें।